

15
धालय उपखण्ड अधिकारी, वाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री मागीरव राम. आर.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2023/241

दायरा तिथि : 09.10.2023

आदेश तिथि : 27-10-2023

प्रार्थीगण :-

1. श्री प्रशांत शर्मा पुत्र वनवारीलाल शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी अम्बाबाडी, झोटवाडा, जयपुर (राज.)
2. श्रीमती शकुन्तला पत्नि श्री बद्रीनारायण जी जाति जाट निवासी टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर (राज.)
3. श्रीमती झमकू वेनीवाल पत्नि श्री पूर्णारामजी जाति जाट निवासी जोशी मोहल्ला, मांझी नागौर (राज.)

व न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार वाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकॉर्ड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 27-10-2023

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपटित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम पेरवा पटवार हल्का पेरवा तहसील वाली के खसरा नंबर 906/459 व खसरा नंबर 907/459 कुल रकबा 3.0400 हेक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम पेरवा पटवार हल्का पेरवा तहसील वाली के खसरा नंबर 895/866 रकबा 11.1000 हेक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (सुप-6) की अधिसूचना क्रमांक F.3(2) Rev.6/03/pt/7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार वाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार वाली एवं भूअ.निरीक्षक, विसलपुर ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2023/1319 दिनांक 19.10.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार वाली एवं भूअ. निरीक्षक, विसलपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार -

1. यह है कि ग्राम विसलपुर के खसरा नंबर 906/459 व 907/459 कुल रकबा 3.0400 हेक्टर किरम बरानी अब्बल भूमि प्रार्थीगणों के नाम से खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खातेदार की धारित भूमि में प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान में आवेदक आवेदित भूमि में से ही आवागमन करता है।
2. प्रस्तावित रास्ता कटान रास्ता से न्यूनतम 90 मीटर दूरी पर स्थित है।
3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हेक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	895/866	11.1000 हेक्टर	बरानी सोयम	90x09= 810 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

4. यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम विसलपुर की डी.एल.सी दर 118575 रु/- रुपये प्रति हेक्टर है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण में तहसीलदार, वाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने का वत अनुशंसा की गई। तहसीलदार, वाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।



उपखण्ड अधिकारी
वाली (जिला-पाली) राज

पेज लगातार.....02

1/02/11
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2023/261
 अनवान प्रशांत शर्मा वगैरा बनान सरकार
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर ननन के परखाने जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम पैरवा तहसील बाली के खसरा नंबर 906/459 व 907/459 कुल रकबा 3.0400 हेक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2023/1319 दिनांक 19.10.2023 से नया रेकॉर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 संप्रदित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम पैरवा पटवार हल्का पैरवा के खसरा नंबर 906/459 व 907/459 कुल रकबा 3.0400 हेक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम पैरवा पटवार हल्का पैरवा तहसील बाली के खसरा नंबर 895/866 रकबा 11.1000 हेक्टर में से 810 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि का जमा करवाये। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हेक्टर में	रास्ते के लिये प्रमाणित क्षेत्रफल	डी.एल.सी दर (प्रति ब.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी दर 118575/-रूपये प्रति हेक्टर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
895/866	11.1000 हेक्टर	90X9=810 वर्गमीटर	12	9720 X12=19440	राजकीय सिवायचक भूमि


प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 19440/- (अक्षरे उन्नीस हजार चार सौ चालिस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक मू-अमि. बिसलपुर द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।


तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकॉर्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरानद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति समी संबंधित को पालनार्थ निजवादी जावे। मिसल फंसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

क्रमांक/कोर्ट/2023/ 776-780
 प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

- 1.तहसीलदार, बाली
- 2.निरीक्षक मू0अ0 बिसलपुर
- 3.पटवारी हल्का, पैरवा
- 4.तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
- 5.आवेदक श्री प्रशांत शर्मा पुत्र बनवारीलाल शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी अम्बाबाड़ी झोटवाडा, जयपुर (राज.) वगैरा को सूचनार्थ।


 उपखण्ड अधिकारी
 बाली (जिला-पाली) राज.
 30-10-2023


 उपखण्ड अधिकारी, बाली
 बाली (जिला-पाली) राज.

